सेवा में

माननीय अध्यक्ष महोदय
हरियाणा विधानसभा
चंडीगढ़

विषय : **हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया व् कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73 के तहत नूह क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ी हालात के बारे में ध्यानाकर्षण प्रास्ताव|**

महोदय जी,

मैं इस सदन का ध्यान हाल ही में हुई नूह क्षेत्र में भयंकर हिंसा की और दिलाना चाहती हूँ जिसमें 4-5 व्यक्तियों की मृत्यु, कई झुग्गियों, दुकानों एवं वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया | सरकार के पास लगातार ऐसे इनपुट मिल रहे थे की शरारती तत्व इस सामाजिक यात्रा जोकि वर्षों से होती आ रही है में उपद्रव करके दो सामुदायों के बीच माहौल को बिगाड़ना चाह रहे है | परन्तु ऐसा लगता है की सरकार ने इस यात्रा की अनुमति देने से पहले कोई भी ठोस उपाय नहीं किये जबकि हिंसा के उपरांत सरकार भी कह रही है की ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था| इतना सरकारी तंत्र एवं ख़ुफ़िया तंत्र सरकार के पास उपलब्ध होते हुए भी वह उचित अहतियाती कदम नहीं उठा पाई जोकि सरकार की नाकामी एवं निष्क्रियता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है | घटना के उपरांत दो समुदायों के बीज भाई-चारे का माहौल बिगाड़ने के लिए कितने शरारती तत्वों को उकसाने और षड्यंत्र में शामिल होने उपरान्त गिरफ्त में लिया गया | क्या इन्हें सरकारी इनपुट्स के आधार पर पहले ही गिरफ्त में नहीं लिया जा सकता था ? यदि ऐसा होता तो यह सदभावना का माहौल इस क्षेत्र में न बिगढ़ता | ऐसी यात्रा वर्षों से शांतिपूर्ण चल रही थी परन्तु यह सरकार की घोर लापरवाही एवं निष्क्रियता का परिणाम है|

अत अध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुरोध करती हूँ की इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री सदन के पटल पर विस्तृत रिपोर्ट एवं बयान दें ताकि राज्य में सद्भावना का माहौल बना रहे और इस घटना की जांच एक वरिष्ठ न्यायाधीस से कराई जाये ताकि दोनों समुदायों के बीज में आपसी सामंजस्य बना रहे |

(किरण चौधरी)
विधायक - तोशाम